☏ कार्यालय/फैक्सः 0135-2759799
ई-मेलः missionhortiuk@gmail.com

नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI)
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक 160 /4-5/14/NMMI/2014-15 दिनांकःदेहरादूनःमई. 17 2014

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों के पंजीकरण हेतु सूचना

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित की जा रही National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के अन्तर्गत On Farm Water Management (OFWM) योजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप, स्प्रिकंलर, पोर्टेबल स्प्रिकंलर, लार्ज वाल्यूम स्प्रिकंलर आदि) घटक में प्रदेश के किसानों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न औद्यानिक एवं कृषि फसलों की सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिये मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप पर आवेदन आमन्त्रित किये जा रहे हैं। निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्तें आदि निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून स्थित कार्यालय से नकद रु. 500.00 भुगतान से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्तें राज्य बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in तथा उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट http://uk.gov.in से भी डाउनालोड किया जा सकता है। डाउनलोड से प्राप्त आवेदन को जमा करने पर रु. 500.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट जो नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 09.06.2014 है। आवेदन के साथ फर्म द्वारा निर्मित सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के साहित्य/फोटोग्राफ की हार्डकॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी संलग्न करनी होगी।

निदेशक, बागवानी मिशन एवं
नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन,
उत्तराखण्ड

कार्यालय–निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों के पंजीकरण हेतु सूचना

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित की जा रही National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के अन्तर्गत On Farm Water Management (OFWM) योजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप, स्प्रिकंलर, पोर्टेबल स्प्रिकंलर, लार्ज वाल्यूम स्प्रिकंलर आदि) घटक में प्रदेश के किसानों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न औद्यानिक एवं कृषि फसलों की सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिये मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमन्त्रित किये जा रहे हैं। निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्तें आदि निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून स्थित कार्यालय से नकद रु. 500.00 भुगतान से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्तें राज्य बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in तथा उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट uk.gov.in से भी डाउनालोड किया जा सकता है। डाउनलोड से प्राप्त आवेदन को जमा करने पर रु. 500.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट जो नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 09.06.2014 है। आवेदन की अन्य शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. कम्पनी के उत्पादों का बी0आई0एस0 द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। साथ ही कम्पनी को अपनी फैक्ट्री में समस्त मुख्य उपकरण स्वंय अथवा विशेष निर्माता के सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्माता कम्पनीयों/फर्मों को निर्माण व आपूर्ति के लिये प्रस्तावित उपकरणों के तकनीकी विवरण को घोषित करना होगा, जिनका विभागीय तकनीकी समिति द्वारा वास्तविक सत्यापन व जॉच के उपरान्त प्रस्तुत आख्या के आधार पर पंजीकरण किया जायेगा।
3. टपक सिंचाई के मामले में कम्पनी कम से कम लेटरल तथा उत्सर्जक डिवाइस की निर्माता होनी चाहिये जो BIS मानकों को पूरा करते हैं। फव्वारा सिंचाई के मामले में कम्पनी BIS मानकों के अनुरूप पीवीसी पाइप/एचडीपीआई/नोजल और अन्य जरूरी उपकरणों के निर्माता होने चाहिये।
4. कम्पनी को समस्त उपकरणों की गुणवत्ता आश्वासन गारंटी देनी होगी, जिनका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया हो लेकिन इनकी पूर्ति निर्माता द्वारा की जानी है।
5. जो कम्पनी विदेशी उपकरणों की आपूर्ति करना चाहती है, उन्हें कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त स्वीकृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

6. उत्पादक कम्पनियों को कृषकों के प्रक्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करनी होगी।

7. कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रु. 10.00 करोड़ होना आवश्यक है।

8. सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों की दर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर देनी होगी। अतिरिक्त सूचना अलग सीट पर संलग्न करनी होगी।

9. विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के साथ रु. 500.00 की विभागीय रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

10. कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित राजसहायता के अनुरूप लघु एवं सीमान्त उद्यानपतियों/कृषकों को 60 प्रतिशत एवं अन्य उद्यानपतियों/कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। शेष अंश कम्पनी द्वारा उद्यानपतियों/कृषकों से सीधा प्राप्त किया जायेगा। कुल भुगतान लाभार्थी द्वारा कम्पनी को किया जायेगा। भुगतान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

11. सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रणाली की स्थापना का सत्यापन इस हेतु गठित सक्षम समिति/प्राधिकारी से होने के बाद अनुदान का भुगतान करेगें।

12. कम्पनी, जिनका पंजीकरण किया जायेगा, को किसान को बिक्री के बाद कम से कम तीन वर्ष तक मुफ्त सेवा प्रदान करनी होगी। साथ ही जमीनी स्तर पर प्रौद्योगीकी तथा सस्य विज्ञान सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिये सेवा केन्द्र (Service Centre) स्थापित करने होगें।

13. कम्पनी को उत्तराखण्ड में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के रख–रखाव हेतु तकनीकी नेटवर्क रखना होगा तथा कृषकों को प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण भी देना होगा।

14. पंजीकरण की वैधता 31 मार्च 2017 तक मान्य होगी।

15. पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 09.06.2014 होगी।

16. आवेदन नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।

17. आवेदन के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के फोटोग्राफ/साहित्य की हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी संलग्न करनी होगी।

18. निर्धारित शर्तों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा विभागीय समिति की संस्तुति पर कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण होने के बाद सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मों को सूचना दी जायेगी।

निदेशक, बागवानी मिशन एवं
नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन,
उत्तराखण्ड

☎ कार्यालय/फैक्सः 0135-2759799
ई-मेलः missionhortiuk@gmail.com

नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI)
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक ________/NMMI/पंजीकरण/2014-15 दिनांकःदेहरादूनःमई. 2014

प्रारूप-1

टैक्नीकल बिड

(आवेदन सीलबन्द लिफाफे में ही बन्द कर किया जाय)

आवेदन फार्म सं0 आवेदन शुल्कः- ₹200/-

1. फर्म का नाम व पताः
2. आवेदन हेतु जमा की की धनराशि का विवरणः

   विभागीय कैश रसीद/ड्राफ्ट संख्या :-
   दिनांक :-
   धनराशि :-

3. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के घटकों हेतु बी0आई0एस0 लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. फैक्ट्री में समस्त मुख्य उपकरण स्वंय अथवा विषेश निर्माता के सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण।
5. आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. कम्पनी द्वारा स्वंय निर्माण न किये गये, किन्तु आपूर्ति किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता आश्वासन गारंटी का प्रमाण।
7. कम्पनी द्वारा विदेशी उपकरणों की आपूर्ति किये जाने हेतु एन0सी0पी0ए0एच0 की सत्यापन एवं सहमति के उपरान्त कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त स्वीकृति का प्रमाण।
7. वाणिज्यकर/वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. उद्योग विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. एक्साईज विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
10. आयकर विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
11. फैक्ट्री लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
12. गत 03 वर्षों के टर्न ओवर के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
13. उत्तराखण्ड में कम्पनी के नेटवर्क का विवरण।
14. फर्म के पैन एवं टिन नम्बर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
15. अन्य शर्त संलग्न हैं।

मेरे द्वारा आवेदन की शर्तें भली-भाँति पढ/समझ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया सहमत हूँ।

आवेदनकर्ता/कम्पनी के अधिकृत आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता/कम्पनी के अधिकृत आवेदनकर्ता का नाम
कम्पनी का नाम/पता-
फोन/फैक्स नं0-
सील-

आवेदन हमारे सम्मुख खोले गये
समिति के सदस्यों का नाम/हस्ताक्षर

1.
2.
3.

प्रारूप–2

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजनान्तर्गत किसानों के प्रक्षेत्रों पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की विभिन्न दूरी एवं क्षेत्रफल के आधार पर स्थापना हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	क्षेत्रफल				
		1.0 है0	2.0 है0	3.0 है0	4.0 है0	5.0 है0
अ.	**टपक सिंचाई**					
अधिक दूरी की फसलें						
1	8 मीटर एवं अधिक					
2	4 मीटर से <8 मीटर					
3	2 मीटर से <4 मीटर					
कम दूरी की फसलों हेतु						
4	1.2 मीटर से <2 मीटर					
5	<1.2 मीटर					
ब	**फौव्वारा सिंचाई**					
1	माईक्रो स्प्रिंकलर					
2	मिनी स्प्रिंकलर					
3	पोर्टेबल स्प्रिंकलर					
4	रैनगन					

नोटः– उपरोक्त सारणी में उल्लिखित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन की वर्ष–2010 की मार्ग निर्देशिका में दिये गये स्पेसीफिकेशन ही मान्य होंगे। प्रणाली स्थापना पर राज सहायता का भुगतान भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 2014–15 से **National Mission For Sustainable Agriculture (NMSA)** के अन्तर्गत **On Farm Water Management (OFWM)** घटक के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ही क्षेत्रफल व दूरी के अनुसार **Prorata** के आधार पर आंगणन कर राज सहायता का भुगतान किया जायेगा।

कम्पनी का नाम

....

कम्पनी द्वारा अधीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

....

कम्पनी द्वारा अधीकृत प्राधिकारी का नाम

....

मोहर (यदि है तो)